विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 257/वि0स0/संसदीय/135(सं)/2016

लखनऊ, दिनांक 03 मार्च, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री प्रदीप माथुर, नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7 के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के विचारार्थ श्री विजय कुमार दुबे, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध दिनांक 22 अगस्त, 2016 को दायर की गयी याचिका पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2017 को किया गया विनिश्चय एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है :–

अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

श्री प्रदीप माथुर द्वारा श्री विजय कुमार दुबे के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिका पर

निर्णय

1. श्री प्रदीप माथुर, नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल द्वारा दिनांक 22–08–2016 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7 के अन्तर्गत श्री विजय कुमार दुबे, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की गयी है।

2. याची द्वारा कहा गया है कि प्रतिपक्षी श्री विजय कुमार दुबे वर्ष 2012 के विधान सभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंडियन नेशनल कांग्रेस) के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में विधान सभा क्षेत्र सं0–329, खड्डा, जनपद–कुशीनगर, उ0प्र0 से चुनाव लड़े और चुनाव में निर्वाचित होकर उ0प्र0 कांग्रेस विधान मण्डल के सदस्य बन गये।

3. याची द्वारा कहा गया है कि प्रतिपक्षी श्री विजय कुमार दुबे ने दिनांक 11 अगस्त, 2016 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है जिसकी औपचारिक घोषणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ विधान सभा मार्ग स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बने हाल में प्रेस कान्फ्रेन्स करके सार्वजनिक रुप से कर दिया है। उस समय उनके साथ प्रतिपक्षी श्री विजय कुमार दुबे भी थे और उन्होंने पत्रकारों के सामने यह स्वीकार किया कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्याग दिया है और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गये हैं। उन्होंने उक्त प्रेस कान्फ्रेन्स में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी

की नीतियों के खिलाफ भी वक्तव्य दिया। उक्त प्रेस कान्फ्रेन्स में प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

4. याची द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त प्रेस कान्फ्रेन्स का विवरण दिनांक 12 अगस्त, 2016 के दैनिक जागरण, दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक अमर उजाला, दैनिक राष्ट्रीय सहारा, दैनिक नवभारत टाइम्स, दैनिक टाइम्स ऑफ इण्डिया तथा दैनिक इंडियन एक्सप्रेस समाचार–पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

5. याची द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त प्रेस रिपोर्टों में से कुछ में प्रतिपक्षी की फोटो भी श्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, उ0प्र0 एवं अन्य के साथ छपी है तथा उनके कथन का सारांश भी है।

6. याची द्वारा कहा गया है कि प्रतिपक्षी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के समाचार ई0टी0वी0 यू0पी0 व अन्य टी0वी0 चैनलों पर भी प्रसारित हुआ है।

7. याची द्वारा कहा गया है कि प्रतिपक्षी श्री विजय कुमार दुबे द्वारा स्वेच्छा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल का त्याग कर दिया गया है जो उनके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने व तत्सम्बन्धी दिनांक 11 अगस्त, 2016 को की गई घोषणा से पूर्णतः सिद्ध होता है।

8. याची द्वारा कहा गया है कि इस कृत्य से श्री विजय कुमार दुबे भारतीय संविधान के दसवीं अनुसूची के पैरा–2(1)(क) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह हो गये हैं।

9. याची द्वारा कहा गया है कि प्रतिपक्षी श्री विजय कुमार दुबे उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987, जो कि संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा–8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा0 अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने बनायी है, के नियम–7 के उप नियम–4 सपठित भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा–2(1)(ख) के अन्तर्गत भी दिनांक 11 जून, 2016 को राज्य सभा मतदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता द्वारा दिये गये निर्देशों के विरुद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कपिल सिब्बल को प्रथम वरीयता का मत न देने के कारण निरर्हता से ग्रसित हो गये हैं।

10. याची द्वारा कहा गया है कि प्रतिपक्षी श्री विजय कुमार दुबे को विधान सभा सचिवालय द्वारा दिनांक 27 जून, 2016 को जारी की गई उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की दलीय सूची के पृष्ठ–5 पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में इंगित सूची के क्रम सं0–26 पर अंकित है, जो कि उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है।

11. अन्त में याची श्री प्रदीप माथुर द्वारा श्री विजय कुमार दुबे को भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित करने और उनकी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं0–329, खड्डा, जनपद–कुशीनगर से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है।

12. याचिका के समस्त प्रस्तरों को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत सत्यापित किया गया है तथा याचिका के साथ याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एक शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। याची की ओर से संलग्नकों के रूप में विभिन्न समाचार–पत्रों की प्रतियाँ संलग्न की गयी हैं।

याचिका के साथ संलग्न अभिलिखित साक्ष्य/ उपाबंधों को भी प्रमाणित किया गया है।

13. दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को याचिका की सुनवाई के समय विपक्षी श्री विजय कुमार दुबे के प्रार्थना–पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2016 का संज्ञान लिया गया जिसमें विपक्षी द्वारा अनुरोध किया गया था कि उन्हें उपलब्ध करायी गई याचिका अपठनीय है, उन्हें दूसरी प्रति उपलब्ध करायी जाये। तत्पश्चात् सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 नियत की गयी।

14. दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 को विपक्षी श्री विजय कुमार दुबे द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय के पाँच सदस्यों के खंडपीठ द्वारा कुलदीप नायर और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, दिये गये निर्णय के प्रस्तर–458 को उद्धत करते हुए यह कहा गया है कि राज्य सभा के निर्वाचन के दौरान अपनी पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध कार्य के कारण विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित करने का कारण नहीं होगा। निर्णय का अनुच्छेद :–458 निम्नवत् है :–

> "The contention that the right of expression of the voter at an election for the Council of States is affected by open ballot is not tenable, as an elected MLA would not face any disqualification from the membership of the house for voting in a particular manner. He may at the most attract action from the political party to which he belongs."

विपक्षी ने यह भी कहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 14 जून, 2016 की प्रेस विज्ञप्ति में 6 कांग्रेस विधायकों को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अतः यह प्रकाश में लाना आवश्यक है कि 14 जून, 2016 को विपक्षी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए तात्कालिक प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया इसलिए संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त 10वीं अनुसूची में यह वर्णित नहीं है कि एक विधायक जो राज्य सभा के चुनाव में अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देता है तो वह सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

अन्त में विपक्षी द्वारा यह कहा गया है कि विपक्षी के अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी से निष्कासन का समाचार प्रेस विज्ञप्ति द्वारा दिनांक 14 जून, 2016 प्रकाशित किया गया। विपक्षी ने कांग्रेस पार्टी को स्वेच्छापूर्वक छोड़ दिया है यह गलत है। कांग्रेस पार्टी के निष्कासन के 2 महीने बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

15. दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को याचिका पर सुनवाई के समय विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा श्री विजय कुमार दुबे का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिपक्षी द्वारा यह अनुरोध किया गया कि डेंगू से पीड़ित होने के कारण वे उपस्थित नहीं हो सकते। कोई अन्य तिथि निर्धारित की जाय। याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 18 नवम्बर, 2016 निर्धारित की गई।

16. याची द्वारा दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को अपने प्रतिउत्तर में यह कहा गया है कि प्रस्तर–1 में विपक्षी द्वारा यह कहा गया है कि उनके द्वारा कांग्रेस छोड़ कर किसी अन्य राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है जो कि असत्य है। विपक्षी ने अपने 19 सितम्बर, 2016 के अंग्रेजी में दिये गये उत्तर के प्रस्तर–3 में स्वीकार किया है कि 11 अगस्त, 2016 को

भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हिन्दी में विपक्षी का इन्कार बाद में निरर्हता से बचने के लिए गढ़ा गया है और विरोधाभासपूर्ण है।

17. प्रस्तर–2 में विपक्षी द्वारा यह कहा गया है कि समाचार–पत्र में छपे समाचार को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है, अस्वीकार है। ये कार्यवाही संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–6 के उप नियम–2 के अंर्तगत अनुच्छेद–212 के अर्थ में राज्य के विधान मण्डल की कार्यवाही है। इस कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में अखबारों में छपे समाचार भी साक्ष्य हैं। विपक्षी ने कभी समाचारों का खंडन नहीं किया और न ही छपी हुई समाचार–पत्रों से इन्कार किया है।

18. याची द्वारा याचिका में दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिपक्षी को विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

19. विपक्षी ने अपने दिनांक 18 नवम्बर, 2016 के अनुपूरक उत्तर में अभिकथित किया है कि उनके द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 को दिये गए उत्तर में प्रस्तर–3 की पांचवी पंक्ति में शब्द "correct" त्रुटिवश शब्द "incorrect" के स्थान पर लिखा गया है। उन्होंने 11 अगस्त, 2016 को न तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और न ही उन्होंने अभी तक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ी है। याचिकाकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के संबंध में सही प्रमाण देना चाहिए।

20. विपक्षी द्वारा यह कहा गया है कि समाचार–पत्र में छपी फोटो को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है, यह अस्वीकार है। विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि न ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी है न ही भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण की है।

21. प्रतिवादी का अभिकथन है कि उसने स्वयं आज तक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि सदस्य विधान मण्डल दल के वेतन के 10 प्रतिशत के समतुल्य अंशदान विधान मण्डल दल में दिया जाता है जो कि विपक्षी द्वारा माहवार कांग्रेस विधान मंडल दल में दिया जा रहा है।

22. याची की ओर से यह कहा गया है कि उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अबतक विपक्षी ने न ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और न ही अन्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, अतः संविधान के 10वीं अनुसूची के उप नियम (2) (1)–(ए) के प्रावधानों के तहत याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है।

23. मैंने पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभिलेखों एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रतिपक्षी श्री विजय कुमार दुबे को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया।

24. दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को अन्ततः उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के सुनने के उपरान्त प्रकरण में निर्णय प्रदान हेतु नियत किया गया।

25. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–2 (1) (क) की परिधि एवं उसके विस्तार के सन्दर्भ में **'किहोटोहोलोहान, रवि एस0 नायक एवं जी0 विश्वनाथन (1996) 2 एस0सी0सी0'** के मामलों में पारित निर्णयों

के अन्तर्गत व्याख्या प्रदर्शित की है तथा यह अवधारित किया है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्यागने का कृत्य प्रत्यक्ष (Express) अथवा विवक्षित (Implied) हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई विधिक व्यवस्थाओं के अनुसार सदन का कोई सदस्य विवक्षित रूप से अपने आचरण द्वारा भी राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग कर सकता है।

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रवि एस0 नायक प्रति यूनियन ऑफ इंडिया (ए0आई0आर0 1994, एस0सी0 1558) में पारित निर्णय के अन्तर्गत समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों को साक्ष्य के रूप में दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिये जाने के विषय में मान्यता प्रदान की है जो कि निम्नवत् हैः–

"As regards the reference to the news papers in the impugned order passed by the Speaker it appears that the Speaker, in his order, has only referred to the photographs as printed in the newspapers showing the appellants with Congress (I) MLAs and Dr. Barbosa, etc. when they had met the Governor with Dr. Wilfred D'Souza who had taken them to show that he had the support of 20 MLAs. The High Court has rightly pointed out that the Speaker, in referring to the photographs was drawing an inference about a fact which had not been denied by the appellants themselves, viz., that they had met the Governor along with Dr. Wilfred D'Souza and Dr. Barbosa on December 10, 1990 in the company of congress (1) MLAs, etc. The talk between the Speaker and the Governor also refers to the same fact. In view of the absence of a denial by the appellants of the averment that they had met the Governor on December 10, 1990 accompanied by Dr. Barbosa and Dr. Wilfred D'Souza and Congress MLAs the controversy was confined to the question whether from the said conduct of the appellants an inference could be drawn that they had voluntarily given up the membership of the MGP. The reference to the newspaper reports and to the talk which Speaker had with the Governor, in the impugned order of disqualification does not, in these circumstances, introduce an infirmity which would vitiate the said order as being passed in violation of the principles of natural justice."

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई उपर्युक्त अवधारणाओं से यह स्पष्ट है कि समाचार–पत्रों को दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिया जाना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। प्रतिपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि उपर्युक्त समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों का कोई खण्डन किया गया हो, अतः याची द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य एवं तर्क विधिक रूप से मान्य हैं।

28. माननीय **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह राणा प्रति श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, (ए0आई0आर0/एस0 सी0 1305, 2007)** में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि निरर्हता उसी दिन से लागू एवं प्रभावी मानी जायेगी जिस दिन से सम्बन्धित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल का त्याग किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश सुसंगत हैं :–

"As we see it, the act of disqualification occurs on a member voluntarily giving up his membership of a political party or at the point of defiance of the whip issued to him. Therefore, the act that constitutes disqualification in terms of paragraph 2 of the Tenth Schedule is the act of giving up or defiance of the whip. The fact that a decision in that

regard may be taken in the case of voluntarily giving up by the Speaker at a subsequent point of time cannot and does not postpone the incurring of disqualification by the act of the legislator. Similarly, The fact that the party could condone the defiance of a whip within 15 days or that the Speaker takes the decision only thereafter in those cases, cannot also pitch the time of disqualification as anything other than the point at which the whip is defied. Therefore in the background of the object sought to be achieved by the Fifty-Second Amendment of the Constitution and on a true understanding of paragraph 2 of the Tenth Schedule, with reference to the other paragraphs of the Tenth Schedule, the position that emerges is that the Speaker has to decide the question of disqualification with reference to the date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. It is really a decision ex post facto. The fact that in terms of paragraph 6 a decision on the question has to be taken by the Speaker or the Chairman, cannot lead to a conclusion that the question has to be determined only with reference to the date of the decision of the Speaker. An interpretation of that nature would leave the disqualification to an indertiminate point of time and to the whims of the decision making authority. The same would defeat the very object of inacting the law. Such an interpretation should be avoided to the extent possible. We are, therefore, of the view that the contention that only on a decision of the Speaker that the disqualification is incurred, cannot be accepted."

29. भारत का संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को समाहित किया गया था जिसका कि मुख्य रूप से यह उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के अनुसार जिस दल से प्रत्याशी निर्वाचित होता है उसके अतिरिक्त अन्य दल के प्रति यदि वह आस्था अथवा प्रतिबद्धता प्रकट करता है तो वह उपयुक्त नहीं है। जैसाकि रवि एस0 नायक के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है। निरर्हता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आचरण के अवधारित पर आधारित हो सकता है। अतः श्री विजय कुमार दुबे को 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निरर्हता से ग्रसित माना जायेगा।

30. उपर्युक्त प्राविधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि कोई सदस्य जिस दल से निर्वाचित हुआ है उसके अतिरिक्त किसी दल में सम्मिलित होता है तो वह निरर्हता से ग्रस्त होगा, चूंकि श्री विजय कुमार दुबे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिनांक 11 अगस्त, 2016 को ग्रहण कर ली है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गये हैं। वर्णित स्थिति में श्री विजय कुमार दुबे के मामले में 10वीं अनुसूची के प्रस्तर–2 के प्राविधान आकर्षित होते हैं तद्नुसार वह उसी दिनांक से निरर्ह माने जायेंगे, जिस दिनांक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

31. प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि साक्ष्य के रूप में याची द्वारा विभिन्न समाचार–पत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा–2 दल परिर्वतन के आधार पर निरर्हता–(1) पैरा–4 और पैरा–5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें –

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख)...

चूंकि श्री विजय कुमार दुबे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वर्णित स्थिति में यह स्पष्ट है कि श्री विजय कुमार दुबे द्वारा स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल भारतीय राष्टीय कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया है। अतः श्री विजय कुमार दुबे के सम्बन्ध में 'भारत का संविधान' की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–(2)(1)(क) में वर्णित प्रावधान आकर्षित होते हैं एवं इसके फलस्वरूप श्री विजय कुमार दुबे 16वीं विधान सभा की सदस्यता से उस दिनांक से निरर्हित माने जायेंगे जिस दिनांक से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुये हैं।

32. याची की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जी0 विश्वनाथन प्रति माननीय अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभा एवं अन्य में पारित निर्णय पर अत्यधिक बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि किसी सदस्य का निष्कासन मूल राजनीतिक दल से हो भी जाता है तो वह उसके विषय में निरर्हता आकर्षित हो सकती है। यदि वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता को त्याग करने का आचरण करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्था में यह अवधारित किया गया है कि मूल राजनीतिक दल से पृथक होने अथवा उससे निष्कासन से पश्चात् भी 10वीं अनुसूची के प्रयोजन हेतु यह माना जायेगा कि ऐसे सदस्य मूल राजनीतिक दल का ही सदस्य है।

प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि श्री विजय कुमार दुबे को निष्कासित किये जाने के विषय में तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः तकनीकी रूप से जी0 विश्वनाथन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय आकर्षित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में याचिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार श्री विजय कुमार दुबे को अपने मूल राजनीतिक दल से निलम्बित किया गया है न कि निष्कासित किया गया है। चूंकि श्री विजय कुमार दुबे को मूल राजनीतिक दल से पूर्ण रूप से पृथक अथवा निष्कासित नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत मामले में जी0 विश्वनाथन का निर्णय लागू नहीं माना जायेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में यह भी दृष्टव्य है कि जी0 विश्वनाथन के निर्णय में निहित मन्तव्यों के अनुसार निलम्बन के पश्चात् भी 10वीं अनुसूची के उद्देश्यों के हेतु यह माना जायेगा कि श्री विजय कुमार दुबे अपने मूल राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही सम्बद्ध हैं। उस सीमा तक जी0 विश्वनाथन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित की गयी विधि व्यवस्थाओं का अवलम्बन प्रस्तुत प्रकरण में लिया जा सकता है।

33. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गयी विधि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्री विजय कुमार दुबे दिनांक 11 अगस्त, 2016 से निरर्ह माने जायेंगे, क्योंकि उसी दिनांक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तथा उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया। इस आशय का समाचार दिनांक 12 अगस्त, 2016 को समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिससे कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने 11 अगस्त, 2016 को अपने मूल राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी। वर्णित स्थिति में मेरा यह सुविचारित समाधान है कि श्री विजय कुमार दुबे के सम्बन्ध में भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रस्तर–2 (1)(क) के प्राविधान आकर्षित होते हैं जिसके फलस्वरू श्री विजय कुमार दुबे दिनांक 11 अगस्त, 2016 को निरर्हता से ग्रस्त हो गये।

आदेश

श्री प्रदीप माथुर, नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को स्वीकार किया जाता है। श्री विजय कुमार दुबे, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र –329, खड्डा, विधान सभा क्षेत्र जनपद–कुशीनगर को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–2 (1) (क) के अंतर्गत दिनांक 11 अगस्त, 2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाता है।

दिनांक 03 मार्च, 2017

माता प्रसाद पाण्डेय,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 247(1)/वि0स0/संसदीय/135(सं)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :––

1–महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव को महामहिम राज्यपाल की सूचनार्थ,
2–मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
3–मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
4–समस्त मा0 सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
5–सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,
6–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7–प्रमुख सचिव, विधान सभा,
8–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग–1,
9–प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
10–सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
11–सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,
12–श्री प्रदीप माथुर, नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
13–श्री विजय कुमार दुबे, मढ़िया बुजुर्ग, पो0–खड्डा, तहसील–पडरौना, जिला–कुशीनगर,
14–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
15–महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली,
16–महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,
17–जिलाधिकारी, कुशीनगर,
18–विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

अशोक कुमार चौबे,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 289 विधान सभा (462)-06-03-2017-1000 प्रतियां-कम्प्यूटर।